भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1602
दिनांक 02.07.2019/11 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस का आधुनिकीकरण

†1602. श्री मनोज कोटकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुलिस बल का आधुनिकीकरण सरकार के एजेंडे में उच्च स्थान पर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपी) अनुमोदित की गयी है; और
(घ) यदि हां, तो एसएपी के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधि के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): भारत सरकार ने दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" नामक एक अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया था। इस अम्ब्रेला योजना के दो भाग हैं- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी भाग की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- राज्य सरकारों को हथियारों, फॉरेंसिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण आदि संबंधी उपस्करों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्कीम का उद्देश्य लक्षित हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) करना है तथा जम्मू और कश्मीर, विद्रोह प्रभावित पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के मामले में अब 'मोबिलिटी' और 'आवास सहित पुलिस अवसंरचना के निर्माण' की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

<u>दिनांक 02.07.2019 का लो. स. अता. प्र. सं. 1602</u>

- तीन हिमालयी राज्य नामतः जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा साथ ही सिक्किम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्य 90:10 के अनुपात में केंद्र:राज्य सहभागिता के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। शेष राज्य 60:40 के अनुपात में केंद्र:राज्य सहभागिता के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सहायता।
- वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 7,380 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ): 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' की स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 25 राज्यों की राज्य कार्य योजनाओं (एसएपी) को उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। वर्तमान वर्ष अर्थात 2019-20 के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता' की स्कीम के तहत आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

<u>**अनुलग्नक**</u>

<u>दिनांक 02.07.2019 का लो. स. अता. प्र. सं. 1602</u>

वर्तमान वर्ष अर्थात् 2019-20 के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता संबंधी योजना' की उप-योजना के तहत आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**
1.	आंध्र प्रदेश	24.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.92
3.	असम	26.4
4.	बिहार	27.62
5.	छत्तीसगढ़	9.72
6.	गोवा	1.03
7.	गुजरात	25.58
8.	हरियाणा	11.48
9.	हिमाचल प्रदेश	3.5
10.	जम्मू और कश्मीर	39.9
11.	झारखंड	9.21
12.	कर्नाटक	38.37
13.	केरल	16.11
14.	मध्य प्रदेश	27.11
15.	महाराष्ट्र	47.11
16.	मणिपुर	9.55
17.	मेघालय	3.75
18.	मिजोरम	4.77
19.	नागालैंड	10.74
20.	ओडिशा	15.6
21.	पंजाब	16.42
22.	राजस्थान	31.26
23.	सिक्किम	1.77
24.	तमिलनाडु	34.84
25.	त्रिपुरा	7.84
26.	तेलंगाना	17.48
27.	उत्तर प्रदेश	63.19
28.	उत्तराखंड	3.37
29.	पश्चिम बंगाल	28.9
	उप-जोड़	**561**
	आकस्मिकता रिजर्व	39.57
	मेगा सिटी पुलिसिंग	32.025
	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	0.45
	पुलिस सुधार के लिए 20%	158.26
	आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केंद्र	20
	कुल जोड़	**811.30**

*****